रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1641] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2011/भाद्र 4, 1933
No. 1641] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2011/BHADRA 4, 1933

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2011

**का.आ. 1976(अ).**—चूंकि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अनुसार "विदेशी अभिदाय" को परिभाषित किया गया है। (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा)।

चूंकि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के तहत "व्यक्ति" को परिभाषित किया गया है।

चूंकि अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं कर सकता है बशर्ते कि उस व्यक्ति के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र हो या केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति हो और इसलिए इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के बिना या केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार करना एक अपराध है।

चूंकि अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का (चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो या किसी संगम या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा) जो केवल कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है, कोई अभियोजन संस्थित किए जाने से पहले, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी धनराशि के लिए, जो केन्दीय सरकार, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा।

इसलिए, अब अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि किसी "व्यक्ति" द्वारा किए गए निम्नलिखित अपराधों को कोई अभियोजन संस्थित करने से पहले, अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध के सामने इंगित दंड के रूप में राशि के भुगतान के लिए संयोजित किया जा सकता है :-

| क्र0सं0 | अपराध की प्रवृत्ति | अर्थ दंड की मात्रा |
|---|---|---|
| (i) | किसी 'व्यक्ति' द्वारा पंजीकरण कराए बिना या केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना विदेशी अभिदाय के रूप में चेक या ड्राफ्ट स्वीकार करना, चाहे 'व्यक्ति' द्वारा वह चेक या ड्राफ्ट बैंक में जमा भी न कराया गया हो। | 10,000/- रु0 या प्राप्त विदेशी अभिदाय का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। |
| (ii) | किसी 'व्यक्ति' द्वारा बिना पंजीकरण अथवा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी अभिदाय के रूप में चेक अथवा ड्राफ्ट स्वीकार करना और इसे बैंक में जमा करना चाहे विदेशी अभिदाय की राशि का उपयोग न भी किया गया हो। | 25,000/- रु0 अथवा लिए गए विदेशी अभिदाय का 3 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। |
| (iii) | किसी 'व्यक्ति' द्वारा बिना पंजीकरण अथवा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार करना और उसका उपयोग करना, चाहे किसी जांच से यह पता चला हो कि प्राप्त किए गए अभिदाय का उपयोग उस प्रयोजन/कार्यों के लिए ही किया गया था जिसके लिए वह प्राप्त किया गया था, अभिदाय का उपयोग उसकी प्राप्ति के लक्ष्यों के अनुरूप था तथा प्राप्ति और उपयोग के अभिलेख उचित रूप से रखे गए हैं। | 1,00,000/- रु0 अथवा लिए गए विदेशी अभिदाय का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। |
| (iv) | जांच के उपरांत कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न होते हुए भी किसी 'व्यक्ति द्वारा बिना पंजीकरण अथवा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर वस्तु रूप में विदेशी अभिदाय स्वीकार करना। | 1,0,000/- रु0 अथवा लिए गए विदेशी अभिदाय का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। |

2. अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विशेष रूप से उल्लेख करती है कि गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग के एफ सी आर ए स्कन्ध के निदेशक अथवा प्रभारी उप सचिव अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध को निपटाने के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकारी होंगे।

[फा. सं. II/21022/10(1)/2010-एफ सी आर ए-III]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2011

**S.O. 1976(E).**—Whereas "foreign contribution" has been defined under clause (h) of sub-section (1) of Section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) (hereinafter referred to as the "Act").

Whereas "person" has been defined under clause (m) of sub-section (1) of Section 2 of the Act.

Whereas section 11 of the Act prescribes that no person, save as otherwise provided in the Act, shall accept foreign contribution unless such person obtains a certificate of registration or prior permission of the Central Government and therefore, acceptance of foreign contribution without obtaining registration or prior permission from the Central Government constitutes an offence under the Act.

Whereas sub-section (1) of section 41 of the Act prescribes that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence punishable under this Act (whether committed by an individual or association or any officer or employee thereof), not being an offence punishable with imprisonment only, may, before the institution of any prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such sums as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Act, the Central Government hereby specifies that the following offences by any 'person' may, before the institution of any prosecution, be compounded for the payment of sums as penalty, as indicated against each of the offences under the Act:-

| S. No. | Nature of offence | Quantum of penalty |
|---|---|---|
| (i) | Acceptance of cheque or draft towards foreign contribution by a 'person' without registration or prior permission of the Central Government even in cases where the cheque or draft has not been deposited in a Bank by the 'person'. | Rs. 10,000/- or 2 per cent of the foreign contribution involved, whichever is higher. |

IndiaCode

| S. No. | Nature of offence | Quantum of penalty |
|---|---|---|
| (ii) | Acceptance of cheque or draft by a 'person' towards foreign contribution without registration or prior permission of the Central Government and depositing the same in a Bank notwithstanding non-utilisation of the amount of the foreign contribution. | Rs. 25,000/- or 3 per cent of the foreign contribution involved, whichever is higher. |
| (iii) | Acceptance of foreign contribution by a 'person' without registration or prior permission of the Central Government and utilisation of the same notwithstanding any inquiry which revealed that the contribution received was not diverted towards any purpose other than the objectives or purpose for which the same was received, utilisation of the contribution was as per the objectives of receipt of the same and records of receipt and utilisation have been kept properly. | Rs. 1,00,000/- or 5 per cent of the foreign contribution involved, whichever is higher. |
| (iv) | Acceptance of foreign contribution in kind by a 'person' without registration or prior permission of the Central Government notwithstanding that nothing adverse was reported after inquiry. | Rs. 10,000/- or 2 per cent of the foreign contribution involved, whichever is higher. |

(2) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Act, the Central Government hereby specifies that the Director or Deputy Secretary in charge of the FCRA Wing of the Foreigners Division in the Ministry of Home Affairs shall be the authority for exercising the powers for compounding of an offence under the Act.

[F. No. II/21022/10(1)/2010-FCRA-III]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode